न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 104/2015 दायरा दिनांक 14.10.2015
GCMS CASE NO- 2015/00034

सहीराम पुत्र आदूराम जाति बैरागी साकिन किशनपूरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
(अपीलांट)

वनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।
2. चारणदास पुत्र आदूराम कौम बैरागी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़।
3. बृजलाल पुत्र आदूराम कौम बैरागी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़।
4. चेतनदास पुत्र आदूराम कौम बैरागी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़।
5. सोनादेवी पत्नी आदूराम कौम बैरागी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ।
6. राजा पुत्री आदूराम कौम बैरागी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ।

(उत्तरवादी)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः–20.12.2023

यह अपील तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 02 ता 06 के पति/पिता आदूराम पुत्र खूमदास को रोही किशनपुरा के खसरा नं. 235/2 में 8.855 है0 रकबा आर.जी.काश्त पर सम्वत 2031 से आवंटन शुदा है। आवंटन की दिनांक से अपीलांट के पिता के जीवनकाल में अपीलांट के पिता का व उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस भूमि को उसने बंजड़ तोड़ कर काबिल काश्त बनाया है। आवंटन के समय सम्बंधित पटवारी हल्का ने जंहा कब्जा दिया वंही पर काबिज है। रकम राज लगातार जमा करवाता चला आ रहा है। वर्षों पश्चात मातहत अदालत ने अपने ही कयाशों पर खसरा नं. 235/2 की 0.759 है0 जी.एफ.सी. में मानते हुए आदेश दिनांक 31.07.2007 की पालना में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जो कतई गलत एवं गैरकानूनी है क्यों कि अपीलांट का अपीलांट के पिता के जीवनकाल से ही जैर प्रकरण रकबा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और जी.एफ.सी. की लाईन से बाहर है जो हल्का पटवारी राजपूरा पीपेरन व आई.एल.आर. की रिपोर्ट से पूर्णतया साबित है कि जैर प्रकरण रकबा जी.एफ.सी. से बाहर है। जिसकी अनदेखी करते हुए मातहत अदालत ने इकतरफा फैसला पारित किया है जो निरस्ती योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 बावजूद पर्याप्त सूचना अनुपस्थित रहे व पैरोकार राज उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि मातहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 2 ता 6 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 01.07.2015 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु उक्त रकबे के कागजात मांगे तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपको 3.00 बीघा रकबा की खातेदारी नहीं है। इस पर अपीलांट को जैर अपील आदेश का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही नकल को आवेदन किया व प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की। देरी का कारण प्राकृतिक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि देरी को माफ फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:18:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर की।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उसके उपरांत गुणावगुण पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 02 ता 06 के पति/पिता आदूराम पुत्र खूमदास को रोही किशनपुरा के खसरा नं. 235/2 में 8.855 है0 रकबा आर.जी.काश्त पर सम्वत 2031 से आवंटन शुदा है। आवंटन की दिनांक से अपीलांट के पिता के जीवनकाल में अपीलांट के पिता का व उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है।मौका पर पूर्ण भूमि का कब्जा है। इस भूमि को उसने बंजड़ तोड़ कर काबिल काश्त बनाया है। आवंटन के समय सम्बंधित पटवारी हल्का ने जंहा कब्जा दिया वंही पर काबिज है। रकम राज लगातार जमा करवाता चला आ रहा है। वर्षों पश्चात मातहत अदालत ने अपने ही कयाशों पर खसरा नं. 235/2 की 0.759 है0जी. एफ.सी. में मानते हुए आदेश दिनांक 31.07.2007 की पालना में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जो कतई गलत एवं गैरकानूनी है क्यों कि अपीलांट का अपीलांट के पिता के जीवनकाल से ही जैर प्रकरण रकबा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और जी.एफ.सी. की लाईन से बाहर है जो हल्का पटवारी राजपूरा पीपेरन व आई.एल.आर. की रिपोर्ट से पूर्णतया साबित है कि जैर प्रकरण रकबा जी. एफ.सी. से बाहर है। जिसकी अनदेखी करते हुए मातहत अदालत ने इकतरफा फैसला पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने पूर्व में जारी परफोर्मा पर आदेश पारित किये है मात्र अपीलांट को परेशान करने की गरज से प्रिन्टेड परफोर्मा के एक तरफ नोट अंकन कर दिया है जिस पर मातहत अदालत के अधिकारी के ना तो पूर्ण हस्ताक्षर है और ना ही लघु हस्ताक्षर है मात्र लिपिक ने अपने ही कयाशो पर जैर अपील पारित किये है जो निरस्ती योग्य है व अपील स्वीकार योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करते समय मातहत अदालत ने अपने ही कयाशों पर पटवारी एवं आई.एल.आर. की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए मात्र लिपिक की परफोर्मा की एक तरफा टिप्पणी के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है जो पूर्णतया एक तरफा व गैर कानूनी होने से निरस्ती योग्य है।

जवाब में पैरोकार राज ने कथन किया कि पटवारी हल्का किशनपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में गजट 03.08.1967 के द्वारा 3 बीघा भूमि जी.एफ.सी. में अवाप्त होना अंकित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2015 सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं पटवारी रिपोर्ट में गजट 03.08.1967 के द्वारा 3 बीघा भूमि जी.एफ.सी. में अवाप्त होना लाल स्याही से अंकित है। अतः स्पष्ट है कि जैरअपील भूमि घग्घर बाढ़ नियंत्रण खण्ड में अवाप्त हो चुकी है। अतः अवाप्त हो चुकी भूमि का आवंटन/खातेदारी अपीलांट को नहीं दिये जाने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.05.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:18:13 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner